न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 2008/475

1. छोटूराम पुत्र स्व0 श्री नारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक अंतर्गत आदेश 88 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय

दिनांक : 16.02.2022

दावा वादीगण की ओर से इस आशय के साथ पेश हुआ कि वादी की कब्जा काश्त की भूमि साबिक खसरा नंबर 335 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 777 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 778 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 780 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 782 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 783 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 784 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 785 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 786 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 787 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 788 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 797 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिस पर वादी अपने पूर्वजो से काश्त करता चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि को भूप्रबंध विभाग ने सं. 2011 व 2012 में खातेदारी से चारागाह में अंकित कर दी गई जिसका अधिकार भू–प्रबंध विभाग को नहीं है। भूप्रबंध विभाग ने वादी की उक्त भूमि की किस्म बदलने का कार्य अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर करने से उक्त कार्यवाही अवैध व निष्प्रभावी है। वादी के पूर्वजो का संवत् 2011 व 2012 में उक्त भूमि पर क[illegible]आ लेकिन भू–प्रबंध विभाग ने वादी की भूमि अप[illegible]ा के नाम रा[illegible] रिकार्ड में अंकित न करते हुए उक्त भूमि का इन्[illegible]ारागाह कर दिया जो कानून के खिलाफ होने से शून्य है। वादी अपने पूर्वजो से चली आ रही भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

पर काबिज काश्त है तथा लगान बतौर पैनल्टी राज्य सरकार को अदा करता आ रहा है लेकिन प्रतिवादी के कारकूनान वादी को बेदखल करने परेशान करने की कार्यवाही करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा संवत 2048 में वादी को उक्त कब्जा काश्त की भूमि पर अतिक्रमी मानकर धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत बेदखल करने की कार्यवाही करते हुए बेदखल किया जिसकी अपील वादी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम के यहां की। श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर ने भी वादी का अतिक्रमण नया होने का अभिव्यक्त करते हुए दिनांक 18.04.92 को अपील खारिज की। उक्त दोनों निर्णयों के खिलाफ वादी ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां पुनरावेदन पेश किया जिसमें मान्य राजस्व अपील अधिकारी ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए वादी का पुराना कब्जा मानते हुए विधि के अनुसार नियमन की कार्यवाही किये जाने का अभिमत व्यक्त किया है। वादी ने अनेक बार राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारों के समक्ष अपनी उक्त पैतृक शुदा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम लगवाने का निवेदन किया लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों ने वादी की आज तक सुनवाई नही की। अब उक्त भूमि का नामांतकरण प्रतिवादी नंबर 2 के नाम अंकित कर दिया जो कि विधि विरूद्व होकर निरस्तनीय निष्प्रभावी व शून्य है। प्रतिवादी नंबर 2 का आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा ना ही प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार को अदा किया गया। वादी उक्त भूमि पर अपने पूर्वजो से काबिज काश्त चला आ रहा है व आज भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा लगान बतौर पैनल्टी अदा करता चला आ रहा है ना ही प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार को अदा किया गया। वादी उक्त भूमि पर अपने पूर्वजो से काबिज काश्त चला आ रहा है व आज भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा लगान बतौर पेनल्टी अदा करता आ रहा है। वादी को प्रतिवादीगण के कारकूनान आये दिन परेशान करते है व काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है। प्रतिवादी नंबर एक के कारकूनान दिनांक 30.10.99 को यह धमकी दी गई कि उक्त भूमि से तुम्हे बेदखल करने की कार्यवाही करेंगे। प्रतिवादी नंबर एक के कारकुनान द्वारा दी गई धमकी को [illegible] हुए वादी अपने अधिकारो को सुरक्षित क[illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के लिए उक्त [illegible] निषेधाज्ञा का श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक समझा।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादी डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाकर आदेश इस आशय की जारी किया जावे कि आराजी खसरा नंबर 777 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 778 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 780 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 782 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 783 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 784 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 785 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 786 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 787 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 788 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 797 रकबा 0.05 हैक्टेयर, कुल किता 11 कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नंबर एक को निर्देशित किया जावे कि उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अमल किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब दावा हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावे का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि– विवादग्रस्त भूमि का ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित होंना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, स्वीकार नहीं है वादी का अपने पूर्वजों के जमाने से विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादग्रस्त भूमि चारागाह की भूमि है जिसके संबंध में वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी या उसके पूर्वजों का विवादग्रस्त भूमि के किसी भाग पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है सारे तथ्य बनावटी है। विवादग्रस्त भूमि चारागाह की भूमि है जिससे वादी या उसके पूर्वजों का कोई संबंध नही है। वादी के विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण करने पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा वादी के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही कियां जाना स्वीकार है। वादी को कोई वाद कारण [illegible] हुआ है। दावा खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद मय [illegible] खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में तनकीयात कायम की गई जो निम्न है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

1. आया वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 777, 778, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 797, कुल किता-11 कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर भूमि पर वादी के पूर्वजो तत्पश्चात निरन्तर वादी का कब्जा है जो माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.09.92 से स्पष्ट है तथा लगान बतौर पेनल्टी राज्य सरकार को अदा करते आ रहे है लेकिन भूप्रबंध विभाग ने सं. 2011 व 2012 में खातेदारी बिना किसी अधिकार के चारागाह अंकित कर दी। जिसे वादी दुरूस्त करवाकर घोषणा करवाने का अधिकारी है?

.........जिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व वादग्रस्त भूमि का नामांतकरण अंकित कर दिया गया है जो विधि विरूद्व होकर निरस्तरनीय निष्प्रभावी व शून्य है?

.......जिम्मे वादी

3. आया वादी प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है?

...... जिम्मे वादी

4. आया विवादग्रस्त भूमि सही रूप से नियमानुसार मिन प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। वादी का या उनके पूर्वजों का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नही रहा है। इसलिए वादी का वाद खारिज किया जावे?

...... जिम्मे प्रतिवादी सं. 2

5. अन्य दादरसी!

तनकीया कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 छोटूराम पुत्र स्व0 श्री नारायण, पीडब्ल्यू–2 कैलाश पुत्र छोटूराम, पीडब्ल्यू–3 राधेश्याम लोकण्डा पुत्र स्व0 नारायण पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को साक्ष्य हेतु अवसर देने के उपरात भी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्यप्रतिवादी का अवसर बंद किया गया। पत्रावली वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई। वकील वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत [illegible] में अंकित है कि – उक्त राजस्व वाद बाबत् घो[illegible] खातेदारी [illegible] के निषेधाज्ञा मय अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] द्वारा वाद प्रस्तुत करने तह प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर मान्य न्यायालय द्वारा वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की। वाद के मुख्य आधार इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि

सहायक [illegible]
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

साबिक खसरा नंबर 335 रकबा 60 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 325 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 770 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 778 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 780 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 785 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 786 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 787 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 788 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 797 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर बनाये गये, जो ग्राम दहमी कलां, पट्वार हल्का बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हैं। जो वादी के बुर्जुगों के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रथम सेटिलमेन्ट कार्यवाही में भू-प्रबंध विभाग द्वारा उक्त भूमि की किस्म चारागाह गलत दर्ज कर दी गयी। चूँकि उक्त भूमि सेटिलमेन्ट से पूर्व कोर्ट ऑफ वॉड्स, सवाई राज जयपुर के अधीन थी। जिस पर वादी के दादा लादूराम बागडा काश्त करते थे एवं लगान सरकारी जमा कराते थे। इनके बाद में वादी के पिता नारायण ने काश्त किया तथा नारायण के फोत होने के पश्चात् वादी उक्त वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से काश्त करता आ रहा है। वादी को कभी भी बेदखल नहीं किया गया। वादी ने कुई बार उक्त भूमि की इन्द्राज दुरूस्ती कर खातेदारी अंकन वादी के नाम करने बाबत् प्रार्थना-पत्र पेश किये। जिस पर केवल आश्वासन ही दिया गया। तब वादी ने अपने वकील द्वारा दफा 80 सी0पी0सी0 के तहत प्रतिवादीगण को दो माह का विधिक नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा प्रेषित करवाया गया। प्रतिवादी राज0 सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 30.10.1999 को बेदखल करने की धमकी दी तो वाद-कारण उत्पन्न होने से वाद उपरोक्त मान्य न्यायालय में पेश किया। भू-प्रबंध विभाग द्वारा बिना राजस्व रिकॉर्ड व मौके की जॉच किये बिना ही वादग्रस्त भूमि की किस्म परिवर्तित कर राज्य सरकार के नाम लगा दी गयी, जो अधिकार क्षेत्र के बाहर की गयी अवैध कार्यवाही है, जिसे दुरूस्त किया जाना वादी के न्यायहित में है। अन्ततः वादी का वाद घोषणा हक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाना वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री फरमावें। मान्य न्यायालय द्वारा दर्ज कर प्रतिवादी की तामील जरिये सम्मन करवाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न तो कोई वादोत्तर पेश किया गया न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश किये गये। दौराने वाद वादग्रस्त भूमि की खातेदारी का [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 के नाम करने से प्रतिवादी को पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से गलत एवं बिना किसी आधार के [illegible] गये। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने वादोत्तर में उल्लेख किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दहमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

कब्जे में स्थित होना स्वीकार है। वादी का बजमाने बुजुर्गान् कोई कब्जा काश्त नहीं है भूमि चारागाह है। राजस्व रिकॉर्ड में मिन प्रतिवादी के नाम खातेदारी अंकन है। वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ, वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी की ओर से अपने वाद की ताईद में निम्न दस्तावेज पेश किय है :– राजस्व नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत् 2037–40 प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 से प्रदर्श–12, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–13 से प्रदर्श–17, नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2024 प्रदर्श–18, नकल खसरा परिवर्तन संवत् 2040–2044 प्रदर्श–19, नकल निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर दिनांक 02.09.1992 प्रदर्श–20, नकल खसरा परिवर्तन निर्धारण एवं गैर मुश्तकिल काश्त प्रदर्श–21 से प्रदर्श–25, नकल मिलान क्षेत्रफल वादग्रस्त भूमि प्रदर्श–26 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में गवाह छोटूराम पी.डब्ल्यू–1, कैलाश पुत्र छोटूराम पी.डब्ल्यू–2, राधेश्याम लोकण्डा पी. डब्ल्यू–3, प्रस्तुत किये। अतः लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जावें कि वो वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि में कोई दखलन्दाजी न करें ना करावें ना बेदखल करे ना करावें। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

पत्रावली का मय दस्तावेजात, साक्ष्य व लिखित बहस अवलोकन किया गया। वाद का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी नंबर 1 आया वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 777, 778, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 797, कुल किता 11 कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर भूमि पर वादी के पूर्वजो तत्पश्चात निरन्तर वादी का कब्जा है जो माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.09.92 से स्पष्ट है तथा लगान बतौर पेनल्टी राज्य सरकार को अदा करते आ रहे है लेकिन भूप्रबंध विभाग ने सं. 2011 व 2012 में खातेदारी बिना किसी अधिकार के चारागाह अंकित कर दी। जिसे वादी दुरुस्त करवाकर घोषणा करवाने का अधिकारी है?

वकील वादी द्वारा दस्तावेजात खसरा गिरदावरी प्रदर्श–13 से प्रदर्श–17, नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2024 प्रदर्श–18, नकल खसरा परिवर्तन संवत् 2040–2044 प्रदर्श–19, नकल निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर दिनांक 02.09.1992 प्रदर्श–20, नकल खसरा परिवर्तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

निर्धारण एवं गैर मुस्तकिल काश्त प्रदर्श–21 से प्रदर्श–25 से यह तो स्पष्ट है कि वादी व उनके पूर्वज वादग्रस्त आराजीयात पर संवत् 2012 से काबिज–काश्त है। लेकिन वादी का वाद में कथन की उक्त वादग्रस्त आराजी को दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही चारागाह अंकित किया है। गलत है। क्योंकि वाद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–13 खसरा गिरदावरी जो संवत् 2012, 2013, 2014 की है से प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व से ही चारागाह अंकित थी और वादी व उनके पूर्वज चारागाह भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। प्रस्तुत दस्तावेज से यह तो स्पष्ट है कि वादी व उनके पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर भू–प्रबंध कार्यवाही से अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। लेकिन वादी अपने वाद में यह साबित नही कर पाये है कि वादी वादग्रस्त भूमि कि किस्म दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही कृषि भूमि से चारागाह अंकित की गई है। वादग्रस्त भूमि– भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व से ही चारागाय भूमि अंकित थी और वादी व उनके पूर्वज चारागाह भूमी पर काबिज थें। ऐसे में वादग्रस्त भूमि की किस्म में परिवर्तन किया जाना व वादी का उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना कानूनी प्रक्रिया के विपरित व न्यायहित में नहीं है। अतः तनकी नंबर 1 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नंबर 2 आया प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व वादग्रस्त भूमि का नामांतकरण अंकित कर दिया गया है जो विधि विरूद्व होकर निस्तनीय निष्प्रभावी व शून्य है?

वादी को अपने वाद में यह सिद्व करना था कि वादग्रस्त भूमि चारागाह भूमि न होकर कृषि भूमि थी और वादीगण कब्जे–काश्त के आधार पर उसके खातेदार हुऐं। लेकिन वादीगण यह सिद्व नही कर पाये है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि थी। तनकी नंबर 1 के निर्णय से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि चारागाह भूमि थी। और चारागाह भूमि पर अधिकार राज्य सरकार में निहित है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व खोला गया नामांतकरण विधी अनुरूप व सही प्रतीत होता है। अतः तनकी नंबर 2 भी वादी के विरूद्व व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नंबर 3 आया वादी प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है?

तनकी नंबर 1 के निर्णय से यह [illegible] कृषि भूमि न होकर चारागाह भूमि है और [illegible] राज्य सरकार में निहित होते है वादी वादग्रस्त भूमि [illegible] अवैध रूप से मात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है। और कब्जे के आधार पर वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। अतः तनकी नंबर 3 भी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नंबर 4 आया विवादग्रस्त भूमि सही रूप से नियमानुसार मिन प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। वादी का या उनके पूर्वजों का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नही रहा है। इसलिए वादी का वाद खारिज किया जावे?

तनकी नंबर 1 के निर्णय से स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार नही है। वादग्रस्त भूमि चारागाह भूमि है और चारागाह भूमि के समस्त अधिकार राज्य सरकार में निहित होते है। वादग्रस्त भूमि के अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को प्रदान किये गये है जो सही प्रतीत होते है। अतः तनकी नंबर 4 प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में व वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नंबर 5 अन्य दादरसी!

तनकी नंबर 1, 2, 3, 4 वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णित की गई है। उक्त तनकीयात से पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि दौराने भू-प्रबंध कार्यवाही चारागाह भूमि अंकित नही की गई है। वादग्रस्त भूमि भू-प्रबंध कार्यवाही के पूर्व से ही चारागाह भूमि थी तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी के पूर्वज तत्पश्चात वादी केवल मात्र अवैध रूप से अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। वादी अपने वाद में यह सिद्व नही कर पाया है कि वादग्रस्त भूमि चारागाह भूमि न होकर कृषि भूमि थी। ऐसे में वादग्रस्त आराजीयात जो चारागाह है और चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नही है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
... शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner